(c) जनजातीय वर्ग हेतु शैक्षिक साधन व प्रयास

1. वित्तीय व्यवस्था ⇒

केन्द्र तथा राज्य सरकारों को आपस में मिलकर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की शैक्षिक, सामाजिक, व्यावहारिक विकास हेतु धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

2. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था ⇒

इस वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे शिक्षण संस्थानों (कोचिंग सेण्टरों) का निर्माण कराया गया जो इनकी आर्थिक समस्या को ध्यान में रखकर सभी सुविधाएँ प्रदान करायी जाती हैं।

3. पुस्तक बैंक ⇒

यह योजना मेडिकल और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराती है। इस योजना के अन्तर्गत 5,000 रुपये मूल्य की पुस्तकों का एक सेट तीन विद्यार्थियों के लिए होता है। इससे तीन साल तक काम चलाया जा सकता है।

4. छात्रवृत्ति की व्यवस्था ⇒

इस वर्ग के लोगों का शैक्षिक स्तर उठाने के लिए विशिष्ट छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गयी है। छात्रवृत्ति योजना कक्षा VI से X तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी 200 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है।

5. मुफ्त शिक्षा व्यवस्था ⇒ संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है।

(6) छात्रावास की व्यवस्था ⇒ इस वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करायी गयी है।

Scanned with CamScanner